अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद संख्या : 04/2022

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत)

नारायण यादव | –: बनाम :– | **केदार यादव वगैरह**

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
03.03.22	थाना प्रभारी, घोडथम्बा ओ0पी0 के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर मौजा पोट्मागढ्हा, खाता नं0 05 प्लॉट नं0 149 रकवा 13 डी0 के मध्ये 05 डी0 तथा खाता नं0 01, प्लॉट नं0 13, 14, तथा 16 क्रमशः रकवा 08 डी0, 22 डी0 तथा 23 डी0 भूमि को लेकर विवाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि नालसी भूमि रैयती खाते की है। जिसे प्रथम पक्ष द्वारा पैतृक संपत्ति के रुप में 65 वर्षो से उपभोग किया जा रहा है। उभय पक्षों के पिता एवं दादा को वर्ष 1952 से पट्टा से भूमि प्राप्त है तथा अपने हिस्से की भूमि पर खेती की जा रही है। द्वितीय पक्ष बाजबरन भूमि को लुट्ना चाहते है। अतः द्वितीय पक्ष को भूमि पर जाने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई। द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया कि नालसी भूमि भू–दान यज्ञ कमिटी तथा सहदेव महतो के काबिज मालिक से प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष को प्लॉट एवं चौहदी की कोई जानकारी नहीं है। नालसी भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा है। अतः प्रथम पक्ष नालसी भूमि पर आने से बाधित करने योग्य हैं। साथ ही केवाला संख्या– 5237 दिनांक 29.04.1977 एवं केवाला संख्या 18264 दिनांक 11.11.1967 की प्रति कागजात के रूप में संलग्न की भूमि पर अपना दखल होना बताया गया। अतः उभय पक्षों के बहस एवं कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवाद हिस्सेदारी से प्राप्त भूमि व भूदान यज्ञ कमिटी तथा केवाला से प्राप्त भूमि से संबंधित है। जिस विवाद का निदान वस्तुतः सक्षम न्यायालय के आधिकारिता का विषय है। तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित ह०/- 03/03/22 अनुमंडल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ।	

ह०/- 03/03/22
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:26:45 +05:30
Location: 192.168.1.3